

न्यायालय:- प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक- 1.40.....

शिवपुरी, दिनांक-29.09.2026

।। संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ।।

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी, म.प्र., माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 एवं 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इस न्यायालय के संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 891 दिनांक 11.09.2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूँ :-

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
2.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. देहात 2. महिला थाना	1. आरक्षी केन्द्र देहात एवं महिला थाना के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र देहात की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुरवाया, सुभाषपुरा, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी, महिला थाना के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 354-डी, 366-ए, 366-बी, 372, 373, 375, 376-ए लगायत 376-ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498-ए से उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध

2.

			कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले। 4. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
3.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. सुभाषपुरा 2. सतनवाड़ा	1. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा एवं सतनवाड़ा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. तहसील शिवपुरी के समस्त रिक्त न्यायालय जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिवपुरी एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका निराकरण करेंगे। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर

			अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
--	--	--	---

शेष आदेश यथावत रहेगा।

इस कार्य विभाजन आदेश के प्रसारित होने पर पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश उन विषयों के संबंध में जिनके संबंध में इस आदेश में नवीन व्यवस्था की गई है, उनके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा उन विषयों के संबंध में जिनका इस आदेश में उल्लेख करना रह गया है, पूर्व में प्रसारित आदेश का अनुसरण किया जा सकेगा।

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 05/10/2026 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र.- ९.....

शिवपुरी, दिनांक-05.10.2026

प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला-शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- 02- सुश्री ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 03- सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04- सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी, (म.प्र.)